

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

—:: आदेश ::—

क्रमांक— 394/दो-11-1/2022

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2023

इस स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु गठित चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थी को सहायक ग्रेड-तीन के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-6200) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नांकित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

स.क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	चयनित अभ्यर्थी का पता	वर्ग	नियुक्ति का पद
1	3	4	5	6
1	श्री हेमंत राव वैध, पिता श्री विनोद राव वैध	भागवत प्रसाद राठौर, पलाश-50 के बगल, देविका विहार रोड, राजकिशोर नगर, बिलासपुर (छ0ग0) पिन-495006	दिव्यांग (मुक्त)	सहायक ग्रेड-तीन

नियुक्ति की शर्तें :-

1. परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी।
2. अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करना होगा, अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
3. अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
4. बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और न ही अध्ययन जारी रख सकेंगे।
5. अस्थायी सेवा काल में यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहते हैं तो 01 माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो 01 माह पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले 01 माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
6. कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणित/तकनीकी योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन बाद तुरंत लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की दो-दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करते 02 नग सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक 11-10-2023 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

10. यदि चयन/नियुक्ति के संबंध में कोई असत्य जानकारी/कूटरचित दस्तावेज आदि पाई जाए अथवा किसी विधि, नियम, विनियम का उल्लंघन होना पाया जाता है तो ऐसी नियुक्ति/सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
11. नियुक्त अभ्यर्थी की पदस्थापना सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में अथवा अनुभाग में की जा सकती है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पृष्ठांकन क्रमांक-1063/दो-11-1/2022

बिलासपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक-1931/तीन-18-29/2008, बिलासपुर, दिनांक 12-03-2013 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
 2. श्री हेमंत राव वैध, पिता श्री विनोद राव वैध, पता-भागवत प्रसाद राठौर, पलाश-50 के बगल, देविका विहार रोड, राजकिशोर नगर, बिलासपुर (छ0ग0) पिन-495006
 3. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर
 4. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)